



## \*प्रेस नोट / सराहनीय कार्य\*

\*(पत्रांक-147/2023 दिनांक 27.05.2023)\*

**\*दिनांक-27.05.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*थाना रामकोला क्षेत्रान्तर्गत पूर्व प्रधान "चर्चित हत्याकाण्ड" का खुलासा, मय आलाकल के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार:-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री संदीप वर्मा के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना रामकोला, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रामकोला पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/2023 धारा 302/120बी/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित पूर्व प्रधान की नृशंस हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आलाकल दो अदद भुजाली, 02 अदद मोटरसाईकिल एच एफ डिलक्स, तीन अदद मोबाईल फोन बरामद किया गया एवं घटना में सम्मिलित 03 शातिर अभियुक्तों 1-अनुपम साहनी पुत्र रामनाथ साहनी सा0 खोटही चैत्री टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर, 2-रामनाथ साहनी पुत्र स्व0 सूर्यबल्ली सा0 खोटही चैती टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर व 3- रामबदन चौधरी पुत्र पारस चौधरी सा0 खोटही गंगया टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### \*पंजीकृत अभियोग-\*

मु0अ0सं0 202/2023 धारा 302/120बी/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट

### \*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\*

- 1-अनुपम साहनी पुत्र रामनाथ साहनी सा0 खोटही चैत्री टोला थाना रामकोला जनपद
- 2-रामनाथ साहनी पुत्र स्व0 सूर्यबल्ली सा0 खोटही चैती टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 3-रामबदन चौधरी पुत्र पारस चौधरी सा0 खोटही गंगया टोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

### \*घटना का संक्षिप्त विवरण-\*

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि रामनाथ साहनी के द्वारा नवीन परती की भूमि पर खोदे गए पोखरे में मछली पालन का काम कई वर्षों से किया जा रहा था जिसको मृतक राम हरख यादव पूर्व प्रधान के द्वारा खाली कराया गया था जिस कारण रामनाथ उपरोक्त को आर्थिक क्षति व सामाजिक हनन हुआ था। इस कारण प्रतिशोध लेने के लिए रामनाथ ने अपने लड़के अनुपम व उसके दोस्त रामबदन के साथ मिलकर दिनांक 23-05-2023 को उक्त घटना को अंजाम दिया था।



### **\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1-दो अदद आलाकत्ल भुजाली ,
- 2-दो अदद मोटर साईकिल (एचएफ डीलक्स)
- 3-तीन अदद मोबाइल फोन

### **\*बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

- 1-प्र0नि0 श्री अखिलेश कुमार सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 2-प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील कुमार शुक्ला प्रभारी स्वाट टीम कुशीनगर
- 3-व0उ0नि0 श्री श्रीप्रकाश राय थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 4-उ0नि0 श्री आलोक यादव स्वाट टीम कुशीनगर
- 5-उ0नि0 श्री शरद भारती सर्विलांस सेल प्रभारी कुशीनगर
- 6-हे0का0 लक्ष्मण सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 7-हे0का0 रामप्रवेश चौधरी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 8-हे0का0 अमित सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 9-हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
- 10-हे0का0 रणजीत यादव- स्वाट टीम कुशीनगर
- 11-हे0का0 राघवेन्द्र सिंह- स्वाट टीम कुशीनगर
- 12-हे0का0 योगेन्द्र प्रसाद स्वाट टीम कुशीनगर
- 13-हे0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम कुशीनगर
- 14-कम्प्यूटर आपरेटर सुशील सिंह सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 15-कम्प्यूटर आपरेटर शम्मी सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 16-हे0का0 अभिषेक यादव सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 17-का0 संदीप भास्कर स्वाट टीम कुशीनगर
- 18-का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
- 19-का0 शिवा सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 20-का0 शुभम वर्मा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 21-का0 अंकुर चौधरी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

**\*एक अदद डीसीएम ट्रक वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 200 पेटी पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपये) के साथ 01 अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी खड्डा कुशीनगर श्री संदीप बर्मा के कुशल नेतृत्व में अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना खड्डा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सालिकपुर पुलिस चौकी के पास रेलवे पुल के पास से एक अदद मिनी ट्रक डीसीएम संख्या CG 04 NU 4049 से तस्करी कर पशु आहार के बोरो से ढक कर ले जायी जा रही 200 पेटी कुल 8892 छोटी- बड़ी शीशी से कुल 1736.28 ली0 मैकडावेल पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब, 52

अदद पशु आहार की बोरियां वाहन सहित कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपये की बरामदगी की गयी तथा मौक से एक शराब तस्कर शहनवाज खान पुत्र अब्दुल रसीद सा0 गढ़रौली मक्सी थाना गढ़रौली जनपद शाजापुर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 196/2023 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 196/2023 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

शहनवाज खान पुत्र अब्दुल रसीद सा0 गढ़रौली मक्सी थाना गढ़रौली जनपद शाजापुर (मध्य प्रदेश)

### **\*बरामदगी का विवरण:- (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 32 लाख रुपये)\***

1-एक अदद मिनी ट्रक डीसीएम संख्या CG 04 NU 4049

2-200 पेटी में पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब (कुल 8892 छोटी बड़ी शीशी से कुल 1736.28 ली0 मैकडावेल)

3-52 अदद पशु आहार की बोरियां

### **\*बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

1-प्र0नि0 श्री अमित कुमार शर्मा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

2-उ0नि0 श्री शर्मा सिंह यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर।

3-उ0नि0 जियेलाल कन्नौजिया थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

4-हे0का0 सचिन कुमार थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

5-हे0का0 रमेशचंद यादव थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

6-हे0का0 दीपू कुँवर थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

7-का0 शशिकेश गोस्वामी थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

8-का0 अवनीश सिंह थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

9-कां0 चंदन यादव 2 थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

**\*थाना कसया पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना कसया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 892/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम से संबंधित वांछित 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भोला पुत्र ऐनुल साकिन फरनहा उर्फ फरेन्दहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

भोला पुत्र ऐनुल साकिन फरनहा उर्फ फरेन्दहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

### **\*आपराधिक इतिहास-\***

1. मु0अ0सं0 387/ 2022 धारा 3/5ए/8 गो0अधिनियम व 11 पशुकुरता अधिनियम थाना कसया कुशीनगर
2. मु0अ0सं0 892/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना कसया जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. प्र0नि0 डा0 आशुतोष कुमार तिवारी थाना कसया जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री विवेक कुमार पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
3. का0 जानसन गौड थाना कसया जनपद कुशीनगर
4. का0 सोनू कुमार यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर

### **\*थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना जटहां बाजार पुलिस द्वारा परिवाद सं0 1610/2012 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारंटी रामप्रसाद पुत्र ठगई साकिन महलनिया थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*गिरफ्तार वारण्टी-\***

रामप्रसाद पुत्र ठगई साकिन महलनिया थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. उ0नि0 श्री रणविजय सिंह थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर
2. का0 विनय यादव थाना जटहां बाजार जनपद कुशीनगर

### **\*थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा एसटी न0-37 धारा 107/116 सीआरपीसी से संबंधित दो नफर वारण्टी 01-रामानन्द शर्मा पुत्र फूलचन्द्र शर्मा, 02- रामबली शर्मा पुत्र फूलचन्द्र शर्मा निवासीगण मठिया बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### **\*गिरफ्तार अभियुक्तगण-\***

- 1- रामानन्द शर्मा पुत्र फूलचन्द्र शर्मा निवासी मठिया बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2- रामबली शर्मा पुत्र फूलचन्द्र शर्मा निवासी मठिया बुजुर्ग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1. उ0नि0 श्री बादशाह सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. का0 मनीष प्रसाद थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा जिलाबदर का आरोपी आदेश का उलंघन करने पर गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 26.05.2023 को थाना को0 हाटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 322/2023 धारा उ0प्र0 गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम 1970 की धारा 10 का उलंघन करने पर अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ इन्द्रजीत चौहान पुत्र गोबरी चौहान साकिन देवराजपुर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 322/2023 धारा उ0प्र0 गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम 1970 की धारा 10

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

जितेन्द्र उर्फ इन्द्रजीत चौहान पुत्र गोबरी चौहान साकिन देवराजपुर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम-\***

1. व0उ0नि0 विशाल कुमार सिंह थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 रविकान्त कुमार थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
3. का0 फैजे आलम थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
4. का0 गुलशन कुमार थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर

### **\*थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा गोबध के मुकदमें में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 335/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त फिरोज पुत्र मजीद सा0 नन्दलाल छपरा थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु0अ0सं0 335/2022 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना ने0नौ0जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1-फिरोज पुत्र मजीद सा0 नन्दलाल छपरा थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1-प्र0नि0 श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

2-व0उ0नि0 श्री रत्नेश कुमार मौर्य थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

3-हे0का0 बृजमोहन सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

4-का0 सन्तोष यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

**\*थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा अवैध तमन्चे के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.05.2023 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सुदर्शन यादव पुत्र भोरिक यादव सा0 बलुअही थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 207/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*आपराधिक इतिहास-\***

1. मु0अ0सं0 207/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना ने0नौ0 कुशीनगर ।

2. मु0अ0सं0 138/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना ने0नौ0 कुशीनगर।

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

1-सुदर्शन यादव पुत्र भोरिक यादव सा0 बलुअही थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

### **\*बरामदगी का विवरण-\***

1-एक अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

1-प्र0नि0 श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

2-उ0नि0 श्री रामेश्वर यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

3-का0 दिनेश बिन्द थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

4-का0 धर्मेन्द्र यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर ।

**\*जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***  
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 36 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में =\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-11 वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-50, व्यक्ति-152
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(11)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-47)

**\*सोशल मीडिया सेल\***  
**\*जनपद कुशीनगर\***

